झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

कार्यालय– सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), चाईबासा

नीलामी सूचना– 02/2025–26

वित्तीय वर्ष 2025–26 में कोल्हान प्रक्षेत्र के दो अग्र परियोजना केन्द्रों क्रमशः हाटगम्हरिया एवं खरसावां के द्वितीय बीजागार का अमपतिया कोकून तथा दो अन्य अग्र परियोजना केन्द्रों क्रमशः चाकुलिया एवं घाटशिला के बीजागार उपरान्त मोदिया कोकून का नीलामी किया जाना है। उक्त के निमित्त इच्छुक इकाई/प्रतिष्ठान से दिनांक– 11.04.2026 तक कार्यालय अवधि में निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। स–समय प्राप्त कोटेशन को दिनांक– 15.04.2026 पूर्वाह्न 11.30 बजे सहायक उद्योग निदेशक(रे0), प0 सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में नीलामी हेतु गठित समिति के समक्ष सहायक उद्योग निदेशक(रे0), प0 सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। कोटेशन जमा करने से संबंधित नियम–शर्तों एवं संबंधित अग्र परियोजना केन्द्रों की सूची एवं केन्द्र बार एवं कोटि वार कोकून की कूल संख्या परिशिष्ट– **ख एवं ग** कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तें

1. इकाई/प्रतिष्ठान जी0 एस0 टी0 निबंधित होना चाहिए।
2. इकाई/प्रतिष्ठान स्वंय संबंधित अग्र परियोजना केन्द्रों में जाकर निलामी सूचना प्रकाशन से कोटेशन जमा करने की तिथि तक कार्य अवधि में कोकून का अवलोकन कर सकते है।
3. कोटेशन के साथ अग्रधन (EMD)के रूप में रू0 30,000.00 (तीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट, जो **सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) के नाम से देय होगा एवं चाईवासा** में भूगतेय होगा ।
4. बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक से बना होना चाहिए।
5. तकनीकी कागजात/शर्तें परिशिष्ट– **क** के अनुसार संलग्न करना होगा एवं लिफाफ के उपर तकनिकी कागजात अंकित होना चाहिए।
6. वित्तीय कागजात अलग लिफाफ में देना है जिसमें सिर्फ अमपतिया/मोदिया कोकून का दर केन्द्र वार एवं कोटि वार /औसत दर अंकित करना है।
7. किसी भी इकाई/प्रतिष्ठान को कम से कम एक अग्र परियोजना केन्द्र के सम्पुर्ण कोकून हेतु दर अंकित करना अनिवार्य होगा।
8. तकनिकी एवं वित्तीय कागजात के सीलबंद लिफाफों को पुनः एक अन्य लिफाफ में सीलबंद कर कार्यालय में समर्पित करना होगा।

Scanned with CamScanner

9. तकनीकी कागजात सही पाये जाने पर हीं वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।
10. कार्यालय द्वारा RMB, चाईबासा से केन्द्रवार कराये गये कोकून assessment के अनुसार केन्द्रवार/कोटिवार कोकून की संख्या तथा कोकून का कोटिवार/ औसत न्युनतम दर परिशिष्ट– **ख एवं ग** पर वर्णित है।
11. चयनित इकाई/प्रतिष्ठान को छोडकर शेष इकाई/प्रतिष्ठान को उसी दिन अग्रधन की राशि वापस कर दिया जायेगा।
12. नीलामी हेतु गठित समिति द्वारा दर निर्धारण के उपरान्त चयनित इकाई/प्रतिष्ठान को 07 कार्य दिवस के अन्दर संबंधित अग्र परियोजना केन्द्र को कोकून की गणना के अनुसार कोकून की संख्या का मिलान कर राशि का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
13. यदि चयनित इकाई/प्रतिष्ठान द्वारा 07 कार्य दिवस के अन्दर राशि का जमा नहीं किया जाता है तो किसी दुसरे इकाई/प्रतिष्ठान को समिति द्वारा निर्धारित दर पर कोकून की विक्री कर दी जायेगी एवं EMD की राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. चयनित इकाई/प्रतिष्ठान को स्वयं के व्यय पर अग्र परियोजना केन्दों में कोकून की पैंकिंग करानी होगी तथा उठाव करना होगा।
15. केन्द्र में कोकून की राशि जमा करने के बाद हीं कोकून का उठाव करना होगा तथा राशि जमा करने के 15 दिन के अन्दर केन्द्र से कोकून का उठाव कर लेना सुनिश्चित करना होगा।
16. बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी को नीलामी सूचना को रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/—

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),
प0 सिंहभूम, चाईवासा।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट– क–

इकाई/प्रतिष्ठान को तकनीकी लिफाफे में निम्न कागजात को संलग्न करना अनिवार्य है–

1. पैन कार्ड की स्व–हस्ताक्षरित छायाप्रति।
2. जी0 एस0 टी0 निबंधन की स्व–हस्ताक्षरित छायाप्रति।
3. अग्रधन (EMD) के रूप में रू0 30,000.00 (तीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक से बना होना चाहिये।
4. Trade License अथवा संस्था का निबंधन प्रमाण पत्र की स्व–हस्ताक्षरित छाया प्रति यदि हो तो।
5. अद्यतन जी0 एस0 टी0 का रिर्टन फाईल की स्व–हस्ताक्षरित छाया प्रति (तीन माह से पूर्व का मान्य नहीं)।
6. गत वित्तीय वर्ष (2024–25) का आयकर रिर्टन फाईल की स्व–हस्ताक्षरित छाया प्रति।
7. इस आशय का नोटराईज्ड शपथ–पत्र कि– वे निलामी में सफल होने के बाद निर्धारित अवधि में कोकून की राशि जमा कर सभी संबंधित अग्र परियोजना केन्द्रों से कोकून का उठाव निश्चित रूप से कर लेंगे।

ह0/–
सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),
प0 सिंहभूम, चाईवासा।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट– (ख)

निलामी किये जाने वाले द्वितीय बीजागार का अमपतिया कोकून का केन्द्रवार/कोटिवार विवरण –

क्र0 सं0	केन्द्र का नाम	द्वितीय बीजागार का अमपतिया कोकून का कोटिवार विवरण				RMB द्वारा बीजागार कोकून का assessment उपरांत निर्धारित कुल न्यूनतम मुल्य रू0 में	न्यूनतम औसत दर रू0 में (प्रति हजार कोकून)	अभियुक्ति
		URC ग्रेड– III	URC ग्रेड– IV	चोपा	कुल			
1	अग्र परियोजना केन्द्र, हाटगम्हरिया	125000	200000	175000	500000	510250.00	रू0 1020.50	
2	अग्र परियोजना केन्द्र, खरसावां	125000	210000	165000	500000	513450.00	रू0 1026.90	
		250000	410000	340000	1000000	1023700.00		

अमपतिया कोकून की कुल संख्या– दस लाख मात्र।

RMB द्वारा निर्धारित अमपतिया कोकून का कोटिवार न्यूनतम मुल्य		
कोटिं	न्यूनतम दर रू0 में (प्रति पीस)	न्यूनतम दर रू0 में (प्रति हजार कोकून)
URC ग्रेड– III	1.41	1410.00
URC ग्रेड– IV	1.04	1040.00
चोपा	0.72	720.00

ह0/–

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),
प0 सिंहभूम, चाईवासा।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट– (ग)

निलामी किये जाने वाले बीजागार उपरान्त मोदिया कोकून का केन्द्रवार एवं कोटिवार विवरण –

क्र0 सं0	केन्द्र का नाम	द्वितीय बीजागार का अमपतिया कोकून का कोटिवार विवरण				RMB द्वारा बीजागार कोकून का assessment उपरांत निर्धारित कुल न्यूनतम मुल्य रू0 में	न्यूनतम औसत दर रू0 में (प्रति हजार कोकून)	अभियुक्ति
		URC मोदल ग्रेड	URC मोदिया ग्रेड– I	URC मोदिया ग्रेड– II	कुल			
1	अग्र परियोजना केन्द्र, चाकुलिया	31832	27853	19895	79580	227201.00	रू0 2855.00	
2	अग्र परियोजना केन्द्र, घाटशिला	30647	33873	16130	80650	230175.00	रू0 2854.00	
		62479	61726	36025	160230	457376.00		

मोदिया कोकून की कुल संख्या– एक लाख साठ हजार दो सौ तीस मात्र।

RMB द्वारा निर्धारित मोदिया कोकून का कोटिवार न्यूनतम मुल्य		
कोटि	न्यूनतम दर रू0 में (प्रति पीस)	न्यूनतम दर रू0 में (प्रति हजार कोकून)
URC मोदल ग्रेड	3.90	3900.00
URC मोदिया ग्रेड– I	2.40	2400.00
URC मोदिया ग्रेड– II	1.82	1820.00

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),
प0 सिंहभूम, चाईवासा।

Scanned with CamScanner